

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 755]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2025 — अश्विन 4, शक 1947

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2025/रास/यू-15.— छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रावधान अंतर्गत शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन व्यक्तियों की तालिका (पेनल) अनुशंसित करने हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा निम्नानुसार समिति नियुक्त किया गया है :-

Smt. Krishna Baruah (Retd. IAS) Former Commissioner and Secretary to the Government of Assam and Registrar, Real Estate Regulatory Authority Assam, Bokul, Guwahati (Assam)	कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति	अध्यक्ष
Professor Dr. Nageshwar Rao Former Vice-Chancellor, Indira Gandhi National Open University, New Delhi	कार्य-परिषद द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति	सदस्य
Dr. Murlidhar G. Chandekar Former Vice-Chancellor, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati (Maharashtra)	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति	सदस्य

- माननीय कुलाधिपति द्वारा Smt. Krishna Baruah को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- उपर्युक्त समिति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) के अंतर्गत यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को पेनल प्रस्तुत करेगी।

हस्ता./—

(निधि साहू)
राज्यपाल के उप-सचिव.